"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्रमांक ई-1-1/2012/एक/2.—भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2013-एआईएस (I)-B, दिनांक 30-12-2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त अधिकारी श्रीमती शारदा वर्मा, अपर संचालक, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास, छ.ग., रायपुर को जिला प्रशिक्षण के लिये कलेक्टरेट, रायपुर में कार्यभार करने के दिनांक से छ: माह (परिवीक्षा अवधि) के लिये स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

2. श्रीमती शारदा वर्मा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टरेट, रायपुर के पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के अंतर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर बताये नियमों की अनुसूची 3-बी में सम्मिलित अपर कलेक्टर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-14/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशुतोष मिश्रा, वन संरक्षक वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, रायपुर को दिनांक 22-12-2014 से 31-12-2014 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा, वन संरक्षक वन प्रबंधन सूचना प्रणाली, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-19/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. अनूप भल्ला, भा.व.से. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (का.आ.), छत्तीसगढ़ को दिनांक 10-12-2014 से 17-12-2014 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 18-12-2014 का पश्चातवर्ती राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की कार्योत्तर अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. भल्ला, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (का.आ.) छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में उक्त अधिकारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. भल्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 7-30/2014/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. के. गोवर्धन, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज.) छत्तीसगढ़ को दिनांक 01-01-2015 से 09-01-2015 तक कुल 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10-11 जनवरी 2015 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ते हुए उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गोवर्धन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.), छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गोवर्धन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गोवर्धन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. आदिले, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्रमांक 748/1033/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 26-12-2014 से 03-01-2015 तक 09 दिवस का (दिनांक 25-12-2014 एवं 04-01-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. मिंज, आगामी आदेश तक उप-सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एम. मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 20-10/2007/ग्यारह/(छः).—सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा-20 सहपठित धारा-21 एवं सुक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन नियम, 2006 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन कौंसिल का गठन करती है :—

1.	आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर	—	अध्यक्ष
2.	उप महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय, रायपुर	—	सदस्य
3.	श्री गोपाल टावरी अध्यक्ष मिनी सीमेंट प्लांट एसोसिएशन भिलाई	—	सदस्य
4.	श्री हरीश केडिया, अध्यक्ष, छ.ग. लघु एवं सहा. उद्योग संघ, तिफरा औद्योगिक क्षेत्र, बिलासपुर.	—	सदस्य
5.	श्री सुरेश खाखरिया, बैरागढ़ बाड़ा सिविल लाईन, रायपुर	—	सदस्य

2. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकित होने के दिनांक से 2 वर्ष का होगा.

3. कोई भी सदस्य कौंसिल के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग कर सकेगा और तदुपरांत वह कौंसिल का सदस्य नहीं रहेगा.

4. कौंसिल के सदस्यों में होने वाली आकस्मिक रिक्तियां, संबंधित विभाग द्वारा नामांकन के द्वारा भरी जायेगी.

5. सरल क्रमांक 2, 3, 4 एवं 5 के नामांकित सदस्यों को ऐसे यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और बैठक फीस संदत्त की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कौंसिल की बैठकों में उपस्थित होने के लिये अवधारित की जाये.

6. कौंसिल की बैठक एक माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा जैसा निश्चित किया जाये, उस समय व स्थान पर होगी.

7. कौंसिल की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनके स्वयं के बीच से निर्वाचित कोई सदस्य, कौंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेगा.

8. कौंसिल की बैठक की गणपूर्ति कौंसिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. यदि किसी समय गणपूर्ति न हो सकने की स्थिति में कौंसिल में कौंसिल का अध्यक्ष बैठक के लिये कोई नई सूचना जारी करेगा.

9. कौंसिल की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों की बहुसंख्या से निश्चित किये जायेंगे तथा मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

10. कौंसिल उक्त अधिनियम में उल्लेखित नियमों के अनुरूप कार्य करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2015

क्रमांक एफ 09-63/गृह-सी/परीक्षा/2014.—सामान्य प्रशासन राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिए राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 05 एवं 06 अगस्त, 2014 को प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. तरूणा साहू	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री आदित्य कुंजाम	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	कु. नम्रता गांधी	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	कु. नमिता मारकोले	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री प्रेमकुमार पटेल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री दुर्गेश कुमार वर्मा	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री उपेन्द्र किण्डो	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री राकेश साहू	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
9.	श्रीमती रंजना आहूजा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री मनीष देव साहू	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
11.	श्री अविनाश भोई	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
12.	सुश्री मोनिका सिन्हा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
13.	कु. लविना पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
14.	सुश्री अंकिता सोम	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
15.	श्री सुमीत अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
16.	श्री हरिओम द्विवेदी	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
17.	श्री प्रेमप्रकाश शर्मा	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
18.	श्री भागवत प्रसाद जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
19.	श्री अनिल कुमार सिदार	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
20.	श्रीमती प्रेमलता मण्डावी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
21.	श्री शिवकुमार बनर्जी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
22.	श्री दशरथ सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
23.	कु. दीप्ति गौते	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
24.	सुश्री सूर्यकिरण तिवारी	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
		परीक्षा केन्द्र बिलासपुर	
25.	श्री गौरव कुमार सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
26.	श्री इन्द्रजीत सिंह	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
27.	श्री रामप्रसाद चौहान	डिप्टी कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
28.	कु. तुलसी राठौर	नायब तहसीलदार	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
29.	श्री देवेन्द्र पटेल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
30.	श्री कीर्तिमान सिंह राठौर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
31.	श्री विनीत नंदनवार	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
32.	कु. दिव्या अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
33.	श्री दुष्यंत कीर्तिमान कोसले	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
34.	श्री टेकचंद अग्रवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
35.	कु. पूनम तिवारी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
36.	श्री जगदीश सोनकर	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
37.	श्री राजेन्द्र कुमार कटारा	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	श्री सुनील कुमार चन्द्रवंशी	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण
39.	श्री रामराज सिंह	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
40.	श्री मुकेश देवांगन	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
41.	श्री शशि शेखर मिश्रा	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
42.	श्री देवेन्द्र कुमार सिरमौर	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
43.	श्री चित्रकांत चाली ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
44.	डॉ. सुभाष सिंह राज	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
45.	श्री गोकुल राम रावटे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
46.	श्री बजरंग कुमार दुबे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
47.	श्री प्रकाश सिंह राजपूत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
48.	श्री दिनेश सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
49.	श्री महेश शर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
50.	श्री शिवनाथ बघेल	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	श्री नीरजकांत तिवारी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
52.	श्री पवन कोसमे	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
53.	श्री उज्जवल पोरवाल	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
54.	श्री कृष्ण कुमार देवांगन	सहायक अधीक्षक	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
55.	श्री रवि कुमार साहू	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
56.	श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
57.	श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
58.	श्री मनीष कुमार वर्मा	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
59.	श्री कमलेश कुमार मिरी	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
60.	श्रीमती नम्रता आनन्द डोंगरे	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
61.	श्री शशांक पाण्डेय	डिप्टी कलेक्टर	तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
62.	श्री अभिषेक कुमार गुप्ता	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
63.	श्री सुनील कुमार सोनपिपरे	नायब तहसीलदार	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
64.	श्री रूपेश कुमार सिंह	नायब तहसीलदार	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
65.	श्री गुड्डू लाल जगत	डिप्टी कलेक्टर	द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
66.	श्री अजीत वसन्त	सहायक कलेक्टर	द्वितीय में सश्रेय से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 9 जनवरी 2015

क्रमांक/8/कले/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	दुर्गूकोंदल	चिखली	0.77	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण उप संभाग, नारायणपुर.	कोटरी नदी पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग निर्माण.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 26 दिसम्बर 2014

क्रमांक/125/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-चारामा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरावंड
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113	0.01
114/1	0.02
116	0.06
123/2	0.24
123/3	0.01
147	0.08
148	0.12
136	0.50
137	0.16
169	0.01
168	0.01
151	0.01
योग	1.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-सुरावंड-पेटोली मार्ग के कि.मी. 2/2 सेदार नदी पर सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-कांटाझरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.941 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
13	1.200
14/4	0.466
15/1	0.170
4	0.304
14/1	0.304
15/4	0.170
16/2	0.455
6	0.809
14/2	0.627
15/3	0.194
16/3	0.223
14/3	0.647
15/2	0.170
16/1	0.202
योग	5.941

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-गोढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.713 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
42/1	0.223
38/1घ	0.130
45/1	0.142
259	0.081
48/2	0.121
73/11	0.101
26/1	0.142
20/12	0.032
20/13	0.182
176	0.162
175/3	0.178
181/6	0.020
169/1, 170/1	0.020
180/1, 182/2	0.142
190/2ख, 191/2	0.061
225	0.020
257/1	0.210
511/6	0.012
511/8क, 511/8ख	0.121
513/2क	0.012
552/2	0.081
38/2ग	0.004
38/1ख	0.089
47/2	0.024
50/8	0.089

(1)	(2)
50/7	0.040
74/2क, 74/2ख, 74/2ग	0.113
20/4	0.101
26/8	0.214
24/1	0.008
174	0.101
173/1	0.113
181/5	0.061
181/1	0.061
47/2	0.024
190/1	0.040
228	0.121
256/2	0.162
511/8ग	0.008
511/5क, 511/5ख	0.008
257/4	0.032
552/1	0.162
38/1ग	0.020
38/1ग	0.020
47/1	0.142
74/1	0.170
49	0.028
77/2	0.081
20/6	0.020
75/2	0.061
86	0.012
181/4	0.061
175/5	0.089
175/9	0.121
172/2	0.008
190/3	0.040
226/1, 226/2	0.142
229	0.040
511/7	0.012
230	0.020
557	0.121
258	0.032
42/2	0.304
46	0.089
236	0.081
48/1	0.154
73/10	0.113
75/1	0.061
20/14	0.081
20/5	0.101
87/3	0.020
175/1, 175/2	0.166
181/3	0.085
171/1, 171/2	0.040
182/2	0.008
190/2क, 191/1	0.061
227/1, 227/2	0.121
512/2	0.008
511/9	0.020
511/10	0.012
556	0.526
553/1क	0.648
योग	7.713

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-चिर्रामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.688 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98/11, 98/12, 98/4	0.850
101	0.372
82/11	0.162
100	0.142

(1)	(2)
107	0.073
82/10	0.032
102	0.648
108	0.089
87	0.012
103/1, 103/2, 103/3	0.405
109	0.081
योग	2.688

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-कसडोल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.787 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
109/1	0.040
110/1क	0.121
107	0.850
125/1	0.344
170/2	0.142
100/2	0.466
144/2	0.178
155/3	0.057
157/3	0.020
162	0.142
166/2	0.061
163/1	0.154
167/6	0.049
163/5	0.036
167/3	0.101
173/3	0.049
111/1	0.199
110/2क	0.065
106	0.210
125/2	0.040
171	0.121
100/5	0.113
155/1	0.283
154/4	0.061
151/2	0.008
163/3	0.049
185/1	0.101
164/1	0.133
167/15	0.007
167/7	0.085
168/2	0.040
174	0.040
112/1	0.073
110/3क	0.061
104/4	0.016
167/4	0.120
98/2	0.081
98/3	0.150
154/1	0.101
154/6	0.364
160/2	0.089
163/4	0.081
163/2	0.012
164/3	0.081
167/16	0.016
167/10	0.024
172/2	0.101
112/3	0.070
110/4	0.202
124	0.016
167/5	0.024
144/6	0.016
100/6	0.405
154/4	0.182

(1)	(2)
154/3	0.243
160/3	0.162
164/2	0.049
167/11	0.004
166/4	0.162
167/17	0.072
167/2	0.174
167/8	0.210
योग 62	7.787

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.262 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
71/2	0.324
144/16	0.397
141/1	0.081
98	0.486
73/1	0.129
144/8	0.003
133/8	0.482
96	0.340
73/2	0.081
140	0.057
133/7	0.332
100/8	0.024
73/3	0.073
135/1	0.348
97	0.105
योग 15	3.262

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसगढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.112 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
56/1	0.061
56/2	0.061
54/1	0.069
55	0.271
33/4	0.340

	(1)	(2)
	26/3	0.069
	17/4	0.850
	44/4	0.093
	53/8	0.453
	15/4	2.145
	51	0.040
	52	0.376
	22/1	0.562
	18	0.546
	34	0.728
	26/2	0.202
	25	0.202
	50	0.073
	33/1क	0.253
	16/1	0.243
	33/1ख	0.253
	15/2	0.506
	33/2	0.267
	15/3	0.024
	33/3	0.405
	11	0.020
योग	26	9.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 जनवरी 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-तमनार
- (ग) नगर/ग्राम-बरबहली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.951 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	139	0.020
	132	0.465
	120	0.080
	126	0.024
	99/1	0.040
	97	0.121
	138	0.040
	134/2	0.607
	122	0.560
	29	0.012
	27	0.012
	94	0.057
	137/2	0.020
	131	0.344
	125/1	0.202
	99/3	0.225
	93	0.180
	95	0.049
	135	0.502
	119	0.283
	125/2	0.668
	99/4	0.254
	96	0.186
योग	23	4.951

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि छ.ग., रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्रमांक गन्ना/आरक्षण/2014-15/145.—मैं पी. सी. पण्डेय, गन्ना आयुक्त, छ.ग. रायपुर, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बालोद, जिला बालोद के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2014-15 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	कारखाना द्वार	बालोद	53	262.00
		गुरूर	48	123.60
		डौंडीलोहारा	61	236.80
		डौंडी	35	55.30
		गुण्डरदेही	36	183.00
		पाटन	15	88.69
		दुर्ग	9	28.61
2.	बेरला	बेरला	23	587.15
		साजा	12	234.45
		धमधा	34	345.60
3.	आनंदगांव	बेरला	19	503.30
		बेमेतरा	30	450.55
		योग	**375**	**3099.05**

पी. सी. पाण्डेय,
गन्ना आयुक्त.

पेराई सत्र 2014-15 के लिये विकासखंडवार आरक्षित किए जाने वाले ग्रामों और उसमें गन्ना क्षेत्र उपलब्धता एवं औसत उत्पादन की जानकारी

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड का नाम	आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संख्या	आरक्षित रकबा हेक्टेयर में	औसत उत्पादन (टन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बालोद	बालोद	53	262.00	15720
2.	बालोद	गुरूर	48	123.60	7416
3.	बालोद	डौंडी	35	55.30	3318
4.	बालोद	डौंडीलोहारा	61	236.80	14208
5.	बालोद	गुण्डरदेही	36	183.00	10980
6.	दुर्ग	पाटन	15	88.69	5321

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	दुर्ग	दुर्ग	9	28.61	1717
8.	दुर्ग	धमधा	34	345.60	20736
9.	बेमेतरा	बेरला	42	1090.45	65427
10.	बेमेतरा	साजा	12	234.45	14067
11.	बेमेतरा	बेमेतरा	30	450.55	27033
		योग	**375**	**3099.05**	**185943**

शक्कर कारखाना गेट पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों की सूची विकासखंडवार

पेराई सत्र 2014–15

क्रमांक	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में)	कारखाने से ग्राम की दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बालोद	सुंदरा	15.00	26
2.	बालोद	घुमका	4.00	26
3.	बालोद	दे. नवागांव	3.00	21
4.	बालोद	ओरमा	8.00	20
5.	बालोद	मेड़की	5.00	18
6.	बालोद	चारवाही	11.00	20
7.	बालोद	नागाडबरी	7.00	15
8.	बालोद	कोहगाटोला	9.00	22
9.	बालोद	तरौद	3.00	22
10.	बालोद	अरौद	11.00	26
11.	बालोद	लाटाबोड	13.00	25
12.	बालोद	खपरी	5.00	28
13.	बालोद	पोण्डी	1.00	15
14.	बालोद	साल्हेटोला	1.00	25
15.	बालोद	जगन्नाथपुर	10.00	29
16.	बालोद	मनौद	12.00	22
17.	बालोद	कुर्सीपार	3.00	18
18.	बालोद	करकाभाट	8.00	0.5
19.	बालोद	मुल्लेगुडा	6.00	25
20.	बालोद	मुल्ले	1.00	25
21.	बालोद	बोरी	2.00	29
22.	बालोद	नेवारीकला	1.00	24
23.	बालोद	सांकरा जं.	8.00	27
24.	बालोद	परसोदा	8.00	18
25.	बालोद	करहीभदर	11.00	4
26.	बालोद	भोइनापार	3.00	30
27.	बालोद	डेगरापार	1.00	32
28.	बालोद	गोडरी	1.00	15
29.	बालोद	जगतरा	5.00	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30.	बालोद	लिमोरा	1.00	18
31.	बालोद	सोहतरा	3.00	12
32.	बालोद	सांकरा.क	11.00	6
33.	बालोद	जुंगेरा	1.00	24
34.	बालोद	पीपरछेड़ी	6.00	18
35.	बालोद	बालोद	1.00	20
36.	बालोद	नेवारीखुर्द	1.00	16
37.	बालोद	सेम्हरकोन्हा	2.00	14
38.	बालोद	टेकापार	1.00	18
39.	बालोद	कन्नेवाड़ा	7.00	5
40.	बालोद	चिरईगोंडी	2.00	5
41.	बालोद	तमोरा	0.50	11
42.	बालोद	जमरूवा	12.00	8
43.	बालोद	उमरादाह	4.00	14
44.	बालोद	भेंगारी	3.00	27
45.	बालोद	लोण्डी	1.00	27
46.	बालोद	मटिया	0.50	32
47.	बालोद	पर्रेगुड़ा	1.50	11
48.	बालोद	हथौद	2.00	11
49.	बालोद	हर्राठेमा	3.00	16
50.	बालोद	बेलोदा	3.00	22
51.	बालोद	काड़े	14.00	16
52.	बालोद	बिरेतरा	0.50	18
53.	बालोद	परसदा	5.00	18
		योग	**262.00**	
1.	गुरूर	टे. बरपारा	3.50	22
2.	गुरूर	कापरमेटा	4.50	8
3.	गुरूर	हितेकसा	5.00	20
4.	गुरूर	ठेकवाडीह	5.50	18
5.	गुरूर	सरबदा	1.50	22
6.	गुरूर	परसुली	1.00	20
7.	गुरूर	खोरदो	1.00	28
8.	गुरूर	अकलवारा	17.00	25
9.	गुरूर	फागुनदाह	0.40	28
10.	गुरूर	पेण्डरवानी	0.50	25
11.	गुरूर	देवकोट	1.00	25
12.	गुरूर	भिरई	1.20	32
13.	गुरूर	सनौद	1.50	25
14.	गुरूर	बोरीदकला	0.50	24
15.	गुरूर	मुडखुसरा	0.40	23
16.	गुरूर	मोखा	2.00	18
17.	गुरूर	कन्हारपुरी	2.00	14
18.	गुरूर	चुल्हापर्थरा	2.00	25
19.	गुरूर	रूपुटोला	2.40	20
20.	गुरूर	पडकीभाट	3.50	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	गुरूर	डोटोपार	1.00	29
22.	गुरूर	पलारी	26.00	30
23.	गुरूर	दुपचेरा	8.00	20
24.	गुरूर	खुदंनी	1.00	21
25.	गुरूर	सांगली	1.20	25
26.	गुरूर	कोसागोंदी	0.50	35
27.	गुरूर	नारागांव	1.00	20
28.	गुरूर	सोनईडोंगरी	2.50	18
29.	गुरूर	बोहारा	0.50	25
30.	गुरूर	अरकार	1.00	42
31.	गुरूर	नगझर	0.50	22
32.	गुरूर	मनचुआ	0.50	18
33.	गुरूर	बड़भुम	2.00	32
34.	गुरूर	साल्हेभाट	1.00	35
35.	गुरूर	दानीटोला	2.50	13
36.	गुरूर	धानापुरी	0.50	15
37.	गुरूर	अरमरीकला	1.00	28
38.	गुरूर	तार्री	1.00	8
39.	गुरूर	ढोकला	1.00	18
40.	गुरूर	धनोरा	1.50	7
41.	गुरुर	सोरर	2.00	10
42.	गुरूर	चिरचारी	4.00	5
43.	गुरूर	बासींग	3.00	18
44.	गुरूर	बोडरा	0.50	16
45.	गुरूर	भुलनडबरी	0.50	15
46.	गुरूर	पुरूर	1.00	18
47.	गुरूर	कनेरी	1.00	16
48.	गुरूर	हसदा	1.00	33
		योग	**123.60**	
1.	डौंडीलोहारा	कुम्हालोरी	13.00	38
2.	डौंडीलोहारा	रेंगनी	20.00	35
3.	डौंडीलोहारा	फरदडीह	3.00	31
4.	डौंडीलोहारा	बुदेली	4.50	31
5.	डौंडीलोहारा	चिल्हाटीखूर्द	2.00	70
6.	डौंडीलोहारा	दुधली	11.50	35
7.	डौंडीलोहारा	खपरी	3.00	38
8.	डौंडीलोहारा	मरकामटोला	1.00	62
9.	डौंडीलोहारा	जाटादाह	1.50	70
10.	डौंडीलोहारा	सुरेगांव	13.90	55
11.	डौंडीलोहारा	भुरकाभॉट	2.50	61
12.	डौंडीलोहारा	किसना	5.00	40
13.	डौंडीलोहारा	पिनकापार	8.00	42
14.	डौंडीलोहारा	गणेश खपरी	5.50	62
15.	डौंडीलोहारा	चेब. नवागांव	5.50	62
16.	डौंडीलोहारा	खामभॉट	2.50	68

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	डौंडीलोहारा	खामतराई	1.50	65
18.	डौंडीलोहारा	मुडखुसरा	3.00	58
19.	डौंडीलोहारा	सम्बलपुर	2.50	65
20.	डौंडीलोहारा	परसाडीह-ज	2.00	55
21.	डौंडीलोहारा	खैरीडीह	11.60	45
22.	डौंडीलोहारा	कोसमी	1.50	52
23.	डौंडीलोहारा	सोरली	1.10	48
24.	डौंडीलोहारा	गुरामी	3.50	55
25.	डौंडीलोहारा	कुवांगांव	4.00	62
26.	डौंडीलोहारा	महाराजपुर	2.50	58
27.	डौंडीलोहारा	डारागांव	3.50	45
28.	डौंडीलोहारा	खपराभांठ	3.10	51
29.	डौंडीलोहारा	खेरथा	1.00	42
30.	डौंडीलोहारा	लमती	0.50	52
31.	डौंडीलोहारा	गोडमर्रा	6.00	50
32.	डौंडीलोहारा	कोचेरा	1.00	40
33.	डौंडीलोहारा	अण्डी	0.50	40
34.	डौंडीलोहारा	खैरा	7.00	61
35.	डौंडीलोहारा	बनगांव	3.00	42
36.	डौंडीलोहारा	बहराभाठ	3.00	65
37.	डौंडीलोहारा	के. नवागांव	3.00	52
38.	डौंडीलोहारा	नांहदा	1.00	58
39.	डौंडीलोहारा	भंवरमरा	7.00	53
40.	डौंडीलोहारा	कापसी	1.90	65
41.	डौंडीलोहारा	बडगांव	1.00	45
42.	डौंडीलोहारा	खरथुली	2.00	35
43.	डौंडीलोहारा	बुल्लूटोला	3.00	38
44.	डौंडीलोहारा	किल्लेकोडा	1.00	59
45.	डौंडीलोहारा	खोलझर	6.00	42
46.	डौंडीलोहारा	पापरा	4.40	45
47.	डौंडीलोहारा	कोबा	1.10	47
48.	डौंडीलोहारा	अछोली	1.50	52
49.	डौंडीलोहारा	कसहीकला	2.00	57
50.	डौंडीलोहारा	संजारी	2.00	62
51.	डौंडीलोहारा	कर्रेगांव	0.50	61
52.	डौंडीलोहारा	भालूकोन्हा कं.	2.00	53
53.	डौंडीलोहारा	फरदफोड	1.00	58
54.	डौंडीलोहारा	गंजईडीह	1.00	55
55.	डौंडीलोहारा	झरनटोला	0.50	53
56.	डौंडीलोहारा	गैंजी	0.50	40
57.	डौंडीलोहारा	परसुली	1.00	61
58.	डौंडीलोहारा	भरदा	0.40	65
		योग	**236.80**	
1.	डौंडी	मथैना	3.10	58
2.	डौंडी	आमाडुला	3.00	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	डौंडी	बेलौदा	4.00	35
4.	डौंडी	सिंघोला	1.40	32
5.	डौंडी	मंगल तराई	0.90	32
6.	डौंडी	चिखलाकसा	8.00	41
7.	डौंडी	सिंगनवाही	1.50	42
8.	डौंडी	पचेडा	1.00	40
9.	डौंडी	घोटिया	3.90	41
10.	डौंडी	घोतिम टोला	1.00	35
11.	डौंडी	ढोरीठेमा	2.00	51
12.	डौंडी	चिपरा	0.50	42
13.	डौंडी	ककरेल	2.00	45
14.	डौंडी	कुसुमकसा	0.50	32
15.	डौंडी	कुर्रूटोला	2.90	45
16.	डौंडी	बिटाल	1.80	42
17.	डौंडी	कुर्सीटिकुर	2.80	35
18.	डौंडी	धोबनी अ	1.00	40
19.	डौंडी	मडियाकट्टा	2.70	42
20.	डौंडी	छिदगांव	0.40	52
21.	डौंडी	गिधाली	0.50	29
22.	डौंडी	सुवरबोड़	0.50	30
23.	डौंडी	ठेमाखुर्द	1.00	40
24.	डौंडी	धोबनी ब	0.50	48
25.	डौंडी	अडजाल	0.50	40
26.	डौंडी	धोबेदण्ड	0.50	40
27.	डौंडी	झीकाटोला	0.50	32
28.	डौंडी	बोरगांव	0.50	29
29.	डौंडी	अवारी	1.00	52
30.	डौंडी	बम्हनी	0.50	58
31.	डौंडी	भेसबोड़	1.50	28
32.	डौंडी	नलकसा	1.10	42
33.	डौंडी	कोपेडेरा	1.30	43
34.	डौंडी	गिधाली	0.50	29
35.	डौंडी	भर्रीटोला	0.50	42
		योग	**55.30**	
1.	गुण्डरदेही	चाराभांठा	4.00	35
2.	गुण्डरदेही	कलंगपुर	7.00	48
3.	गुण्डरदेही	पिनकापार	2.50	49
4.	गुण्डरदेही	टिकरी	4.00	42
5.	गुण्डरदेही	लिमोरा	7.00	19
6.	गुण्डरदेही	पेण्ड्री	80.00	32
7.	गुण्डरदेही	कमरौद	10.00	39
8.	गुण्डरदेही	बेलौदी	6.00	29
9.	गुण्डरदेही	हल्दी	5.00	38
10.	गुण्डरदेही	सीकोसा	3.00	59
11.	गुण्डरदेही	बोरगहन	6.00	45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	गुण्डरदेही	डुण्डेरा	3.00	42
13.	गुण्डरदेही	भरदाकला	1.00	40
14.	गुण्डरदेही	फुण्डा	2.00	35
15.	गुण्डरदेही	राहुद	3.00	45
16.	गुण्डरदेही	सिरसिदा	2.00	32
17.	गुण्डरदेही	मुडरा	0.50	
18.	गुण्डरदेही	कसौदा	0.50	26
19.	गुण्डरदेही	हरनसिंघीं	1.00	33
20.	गुण्डरदेही	जोरातराई	3.00	40
21.	गुण्डरदेही	परसदा	2.00	26
22.	गुण्डरदेही	मोखा	0.50	32
23.	गुण्डरदेही	भोथीपार	0.50	26
24.	गुण्डरदेही	भाठागांव	1.00	40
25.	गुण्डरदेही	मोंगरी	4.00	25
26.	गुण्डरदेही	सलौनी	1.00	26
27.	गुण्डरदेही	सिराभाठा	1.50	26
28.	गुण्डरदेही	सांकरी	8.00	28
29.	गुण्डरदेही	ईरागुड़ा	1.00	17
30.	गुण्डरदेही	नवागांव	1.50	12
31.	गुण्डरदेही	डगनियां	1.00	16
32.	गुण्डरदेही	पिरिद	2.00	15
33.	गुण्डरदेही	कुरदी	1.00	26
34.	गुण्डरदेही	कोडेवा	5.00	28
35.	गुण्डरदेही	गुरेदा	1.00	26
36.	गुण्डरदेही	देवगहन	1.50	26
		योग	**183.00**	
1.	पाटन	रीवागहन	0.30	35
2.	पाटन	बटरेल	3.50	36
3.	पाटन	उमरपोटी	0.40	38
4.	पाटन	सुकोना	0.12	75
5.	पाटन	कौरी	0.73	80
6.	पाटन	अचानकपुर	0.12	70
7.	पाटन	चुनकट्टा	0.12	55
8.	पाटन	छाता	0.50	50
9.	पाटन	किकरमेटा	0.40	42
10.	पाटन	आगेसरा	2.40	42
11.	पाटन	सिरसाकला	0.40	96
12.	पाटन	रोही	2.50	80
13.	पाटन	सेलूद	0.20	80
14.	पाटन	औसर	2.00	82
15.	पाटन	मगरघटा	75.00	106
		योग	**88.69**	
1.	दुर्ग	कोकड़ी	5.00	88

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	दुर्ग	चुदखुरी	2.52	80
3.	दुर्ग	उमरपोटी	3.40	105
4.	दुर्ग	महमरा	2.12	96
5.	दुर्ग	कुथरेल	3.00	82
6.	दुर्ग	विनायकपुर	2.12	85
7.	दुर्ग	खाडा	0.15	104
8.	दुर्ग	असनारा	8.30	100
9.	दुर्ग	कोटनी	2.00	102
		योग	**28.61**	
		महायोग कुल ग्राम	**257**	
		कुल रकबा (हे.)	**978.00**	

पेराई सत्र 2014-15 में क्रय केन्द्र बेरला (विकासखंड बेरला) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामों की सूची एवं दूरी की जानकारी

क्रमांक (1)	क्रय केन्द्र (2)	क्रय केन्द्र पर (3)	विकासखण्ड (4)	गन्ना फसल (5)	क्रय केन्द्र से (6)
1.	बेरला	बेरला	बेरला	15.50	0
2.	बेरला	गाडामोर	बेरला	115.40	10
3.	बेरला	सिंगारडीह	बेरला	21.30	17
4.	बेरला	तठियाकला	बेरला	16.50	10
5.	बेरला	लावतरा	बेरला	5.80	8
6.	बेरला	तारालीम	बेरला	14.20	6
7.	बेरला	खामतराई	बेरला	5.00	12
8.	बेरला	सांकरा	बेरला	25.20	6
9.	बेरला	बहेरा	बेरला	21.80	2
10.	बेरला	पतोरा	बेरला	6.50	5
11.	बेरला	गोड़गिरी	बेरला	5.50	14
12.	बेरला	करामाल	बेरला	6.25	3
13.	बेरला	परपोड़ा	बेरला	30.70	15
14.	बेरला	मोहभट्ठा	बेरला	25.00	17
15.	बेरला	पाथरपुंजी	बेरला	28.90	8
16.	बेरला	सोंढ	बेरला	45.60	8
17.	बेरला	भरचट्टी	बेरला	6.00	8
18.	बेरला	बचेड़ी	बेरला	34.00	13
19.	बेरला	चौगीखपरी	बेरला	10.00	15
20.	बेरला	तिलई	बेरला	15.00	12
21.	बेरला	बारगांव	बेरला	92.00	12
22.	बेरला	करेली	बेरला	12.00	10
23.	बेरला	बांसा	बेरला	29.00	3
24.	बेरला	देवकर	साजा	4.00	24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	बेरला	राखी	साजा	62.15	21
26.	बेरला	अमलीडीह	साजा	15.00	35
27.	बेरला	परसबोड	साजा	20.20	26
28.	बेरला	साजा	साजा	40.00	29
29.	बेरला	डोंगीतराई	साजा	8.00	31
30.	बेरला	संबलपुर	साजा	15.00	38
31.	बेरला	खाती	साजा	10.00	42
32.	बेरला	अकलवारा	साजा	40.50	30
33.	बेरला	नवकेसा	साजा	8.00	32
34.	बेरला	सोमईकला	साजा	6.00	40
35.	बेरला	बेदर्ची	साजा	5.60	30
36.	बेरला	पेन्ड्री	धमधा	7.00	32
37.	बेरला	सगनी	धमधा	7.00	40
38.	बेरला	कौड़िया	धमधा	4.56	29
39.	बेरला	घटिया खुर्द	धमधा	8.00	22
40.	बेरला	मुडपार	धमधा	2.80	20
41.	बेरला	मोहदी	धमधा	8.56	22
42.	बेरला	चेटवा	धमधा	13.36	30
43.	बेरला	अछोली	धमधा	12.40	30
44.	बेरला	दादर	धमधा	14.10	30
45.	बेरला	संडी	धमधा	18.80	21
46.	बेरला	डूमर	धमधा	9.67	26
47.	बेरला	गिरहोला	धमधा	2.00	18
48.	बेरला	माटरा	धमधा	20.00	12
49.	बेरला	धमधा	धमधा	15.80	22
50.	बेरला	बानबरद	धमधा	10.00	25
51.	बेरला	अहिवारा	धमधा	9.00	22
52.	बेरला	मोहरेंगा	धमधा	18.00	10
53.	बेरला	खजरी	धमधा	8.67	11
54.	बेरला	तरकोरी	धमधा	10.00	6
55.	बेरला	ठठिया	धमधा	16.00	7
56.	बेरला	मुरमुदा	धमधा	7.60	25
57.	बेरला	खपरी	धमधा	20.25	20
58.	बेरला	ढौर	धमधा	5.40	21
59.	बेरला	कपसदा	धमधा	13.00	20
60.	बेरला	परहा	धमधा	2.50	32
61.	बेरला	बासाडीह	धमधा	16.00	18
62.	बेरला	लहंगा	धमधा	5.98	12
63.	बेरला	मलपुरीकला	धमधा	8.50	25
64.	बेरला	पंचदेवरी	धमधा	13.56	20
65.	बेरला	ओटेबंद	धमधा	12.20	25
66.	बेरला	पेन्ड्रीतराई	धमधा	9.25	12
67.	बेरला	लिमतरा	धमधा	6.40	12
68.	बेरला	मुर्रा	धमधा	4.00	24
69.	बेरला	खुंदनी	धमधा	5.24	25
			कुल योग	**1218.52**	

पेराई सत्र 2014-15 में क्रय केन्द्र आनंदगांव (विकासखंड बेरला) पर

क्रमांक (1)	क्रय केन्द्र (2)	क्रय केन्द्र पर (3)	विकासखण्ड (4)	गन्ना फसल (5)	क्रय केन्द्र से (6)
1.	आनंदगांव	कोसपातर	बेरला	4.50	8
2.	आनंदगांव	मटिया	बेरला	3.50	7
3.	आनंदगांव	आनंदगांव	बेरला	45.40	12
4.	आनंदगांव	नवांगांव	बेरला	7.50	5
5.	आनंदगांव	खुड़मुड़ा	बेरला	25.00	4
6.	आनंदगांव	सिंगदेही	बेरला	9.00	8
7.	आनंदगांव	सहौली	बेरला	16.20	6
8.	आनंदगांव	बेलौदीकला	बेरला	6.25	10
9.	आनंदगांव	मुड़पारखुर्द	बेरला	5.65	10
10.	आनंदगांव	तेलगा	बेरला	8.20	4
11.	आनंदगांव	सरदा	बेरला	12.50	8
12.	आनंदगांव	लेंजवारा	बेरला	15.80	8
13.	आनंदगांव	देवादा	बेरला	4.00	5
14.	आनंदगांव	अकोली	बेरला	8.00	8
15.	आनंदगांव	देवरी	बेरला	20.00	8
16.	आनंदगांव	हरदी	बेरला	16.50	15
17.	आनंदगांव	हसदा	बेरला	8.00	8
18.	आनंदगांव	तिवरैया	बेरला	9.30	32
19.	आनंदगांव	नेवनारा	बेरला	8.00	9
20.	आनंदगांव	लालपुर	बेमेतरा	2.00	49
21.	आनंदगांव	पचभैया	बेमेतरा	1.00	48
22.	आनंदगांव	पेंड्री (दाढ़ी)	बेमेतरा	2.00	38
23.	आनंदगांव	खडसरा	बेमेतरा	8.35	34
24.	आनंदगांव	भैसा	बेमेतरा	23.20	36
25.	आनंदगांव	झाराडीह	बेमेतरा	5.00	38
26.	आनंदगांव	बेतर	बेमेतरा	2.00	42
27.	आनंदगांव	बटार	बेमेतरा	3.00	44
28.	आनंदगांव	पंडरभट्ठा	बेमेतरा	12.00	34
29.	आनंदगांव	पेंड्रतराई	बेमेतरा	20.00	32
30.	आनंदगांव	लावातरा	बेमेतरा	10.00	35
31.	आनंदगांव	करचुआ	बेमेतरा	5.00	32
32.	आनंदगांव	पेंड्री (बालसमुंद)	बेमेतरा	30.00	36
33.	आनंदगांव	कुसमी	बेमेतरा	25.00	39
34.	आनंदगांव	झाल	बेमेतरा	37.00	37
35.	आनंदगांव	सिंगपुर	बेमेतरा	16.00	27
36.	आनंदगांव	उधरी	बेमेतरा	6.00	48
37.	आनंदगांव	बैजलपुर	बेमेतरा	4.00	45
38.	आनंदगांव	बहु नवागांव	बेमेतरा	30.00	42
39.	आनंदगांव	गांगपुर	बेमेतरा	10.00	48
40.	आनंदगांव	मटका	बेमेतरा	14.00	35
41.	आनंदगांव	बीजापुर	बेमेतरा	24.00	32
42.	आनंदगांव	अमोरा	बेमेतरा	31.00	38
43.	आनंदगांव	चावरभंठा	बेमेतरा	20.00	42
44.	आनंदगांव	लेलासरा	बेमेतरा	38.00	47

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45.	आनंदगांव	बहरा	बेमेतरा	6.00	52
46.	आनंदगांव	मुगेली	बेमेतरा	10.00	32
47.	आनंदगांव	बाराडोरा	बेमेतरा	20.00	45
48.	आनंदगांव	रबेली	बेमेतरा	6.00	44
49.	आनंदगांव	सुगहनपुर	बेमेतरा	30.00	46
			कुल योग	**683.85**	

आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संकलित जानकारी

कारखाना कार्यक्षेत्र में कुल ग्रामों की संख्या — 291 रकबा-1323.60 हेक्टेयर
कारखाना कार्यक्षेत्र के बाहर के कुल ग्रामों की संख्या — 84 रकबा-1775.45 हेक्टेयर

महायोग ग्राम 375 रकबा - 3099.05 हेक्टेयर

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2015

त्रुटि सुधार

क्रमांक 6759/स्था./छ.ग.प.सं.मं./2015.—छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 12-12-2014 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (तृतीय श्रेणी) सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2012 में अनुसूची-दो के सरल क्रमांक (ग) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें के क्रमांक 2 के पश्चात् एवं पृष्ठ क्रमांक 2013 में सरल क्रमांक (ख) वैज्ञानिक सेवायें के पूर्व निम्न जोड़ा जाता है, जो कि त्रुटिवश प्रकाशित होने से छूट गया था :—

3.	वरिष्ठ लेखापाल/कार्यालय अधीक्षक (भविष्य में पदोन्नति के लिए)	3	-	100%	-
4.	सहायक अधीक्षक/ लेखापाल	14	-	100%	-
5.	सहायक ग्रेड-दो	20	-	100%	-
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-एक	1	-	100%	-
7.	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	2	-	100%	-
8.	शीघ्रलेखक	2	100%	-	-
9.	सहायक ग्रेड-तीन	40	75%	-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से जो विहित अर्हताएं पूरी करते हों और जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण की हो, के लिए 25 प्रतिशत तक नियुक्ति के लिए.

10.	वाहन चालक	20	100%	-	-
(घ) विधि सेवायें					
1.	विधि सहायक	1	100%	-	-

अनुसूची–तीन

(विनियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
(क) अभियांत्रिकी सेवायें						
1.	उप अभियंता	21 वर्ष	30 वर्ष छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि.	(1) सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	अध्यक्ष
					(2) अवर सचिव/ उप सचिव/संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग	सदस्य
					(3) मण्डल के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी	संयोजक
					(4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अनुमति से विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों को समिति में सदस्य के रूप में (उस संख्या में जैसा कि उचित समझा जाये), सम्मिलित किया जा सकेगा.	

देवेन्द्र सिंह,
सदस्य सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जशपुर जिला–जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्रमांक/8498/वित्त स्था./स्थानीय अवकाश/2014.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4/भोपाल दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के नियम 08 के अधीन प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए मैं हिम शिखर गुप्ता, कलेक्टर जशपुर वर्ष 2015 के लिये जशपुर जिले में निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्रमांक	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन	रिमार्क
1.	भाई दूज	07-03-2015	शनिवार	जशपुर जिले में
2.	नवाखाई	18-09-2015	शुक्रवार	जशपुर जिले में
3.	दीपावली का दूसरा दिन	12-11-2015	गुरूवार	जशपुर जिले में

हिम शिखर गुप्ता,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 19th December 2014

No. 1284/Confdl./2014/II-2-99/2001 (Pt.-II).— On the application dated 28-10-2013 and 13-10-2014 of Shri Nand Kumar Singh Thakur, Member of Higher Judicial Service, presently, posted as Chairman, Permanent Lok Adalat, Ambikapur requesting for change of his home district, permission is hereby accorded to change his home district from “Durg” to “Balod” with a direction that necessary changes be affected in all his records.

Bilaspur, the 22nd December 2014

No. 1290/Confdl./2014/II-2-17/2002 (Part.-VI).— In exercise of the powers conferred by Rule 14 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, Hon’ble the Acting Chief Justice of Chhattisgarh High Court has been pleased to specify all the District & Sessions Judges in the State of Chhattisgarh as the persons before whom the members of Chhattisgarh Higher Judicial Service appointed to the Service by Direct Recruitment shall make and subscribe oaths or affirmations under the said Rule.

Bilaspur, the 22nd December 2014

No. 1292/Confdl./2014/II-2-17/2002 (Part.-VI).— In exercise of the powers conferred by Rule 16 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, Hon’ble the Acting Chief Justice of Chhattisgarh High Court has been pleased to specify all the District & Sessions Judges in the State of Chhattisgarh as the persons before whom the members of Chhattisgarh Lower Judicial Service appointed to the Service by Direct Recruitment shall make and subscribe oaths or affirmations under the said Rule.

Bilaspur, the 24th December 2014

No. 1297/Confdl./2014/II-2-1/2014.— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shyam Lal Nawratana IV Additional Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	III Additional District & Sessions Judge.
2.	Ku. Sanghratna Bhatpahari Additional Registrar (D.E.) High Court of C.G.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)
3.	Shri Prafull Sonwani, III Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Additional District & Sessions Judge, Abmikapur.
4.	Ku. Ranju Rautrai, V Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)

Bilaspur, the 24th December 2014

No. 1299/Confdl./2014/II-2-90/2001 (Pt.-III).— Shri Maneesh Kumar Thakur, Member of Higher Judicial Service and presently posted as II Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon is appointed as Additional Registrar (D.E.) in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

By order of Hon'ble the High Court,
ASHOK PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 27th December 2014

No. 9611/III-6-1/2007 (Pt.-I).— In exercise of the powers conferred under Sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ku. Reshma Bairagi, Judicial Magistrate Second Class, Dhamtari.

By order of the Hon'ble High Court,
A. S. CHANDEL, I/c Registrar General.